

28/03
24

चिड़ाया जिला झुन्झुनूं (राज.)

पत्रावली पेश की। पत्रावली में डिपॉजिट आदेश
दिया जाता है। प्रार्थी को प्रत्येक पत्र स्वीकार
करना जानना विद्वानों के द्वारा सुनिश्चित
करना। प्रार्थी पत्रावली को पत्रावली में
सुधार और सम्बन्धित करके ही जानना
करना चाहते हैं।

P

उप खण्ड अधिकारी
चिड़ाया जिला झुन्झुनूं (राज.)